भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 384
(02 दिसंबर, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

पश्चिम बंगाल में एनआरएलएम

384. श्री खलीलुर रहमान:

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में, विशेषकर पश्चिम बंगाल में , ग्रामीण युवाओं के लिए कौशल विकास और रोजगार के अवसर बढ़ाने में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) की क्या भूमिका है;

(ख) क्या इस संबंध में निजी क्षेत्र की संस्थाओं या गैर -सरकारी संगठनों के साथ कोई साझेदारी की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पश्चिम बंगाल में एनआरएलएम के अंतर्गत युवाओं के रोजगार की जिला-वार स्थिति क्या है और इसका ब्यौरा क्या है?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(श्री कमलेश पासवान)

(क) ग्रामीण विकास मंत्रालय दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) की अग्रणी योजना के तहत पश्चिम बंगाल राज्य सहित देश भर में गरीबी उन्मूलन के उद्देश्य से ग्रामीण गरीब युवाओं के लाभप्रद रोज़गार के लिए कौशल विकास के क्षेत्र में निम्नलिखित दो केंद्र प्रायोजित योजनाओं नामत: दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू -जीकेवाई) और ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई) को कार्यान्वित कर रहा है इन योजनाओं का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:

I. <u>दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयूजीकेवाई)</u>

डीडीयू-जीकेवाई ग्रामीण गरीब युवाओं जिनकी आयु 15-35 वर्ष के बीच है , के लिए एक नियोजन से जुड़ा कौशल विकास कार्यक्रम है। यह योजना ग्रामीण गरीब युवाओं को रोजगार योग्य कौशल के साथ सशक्त बनाती है और नियमित श्रम बाज़ारों में उनकी भागीदारी को

सुगम बनाती है, जिससे उन्हें न्यूनतम वेतन के बराबर या उससे अधिक नियमित मासिक वेतन के साथ नौकरियाँ प्रदान की जाती हैं। डीडीयू -जीकेवाई दिशानिर्देशों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए 50%, महिलाओं के लिए 33%, और दिव्यांगजनों के लिए 5% के सामाजिक समावेशन का प्रावधान है।

II. ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई):

आरएसईटीआई बैंक-अग्रणी ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा वित्तपोषित प्रशिक्षण संस्थाएं हैं , जिनकी स्थापना कौशल और उद्यमिता विकास के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु प्रायोजक बैंकों द्वारा अपने ज़िलों में की जाती है। ग्रामीण विकास मंत्रालय आरएसईटीआई भवन के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है और साथ ही 'ग्रामीण गरीब' अभ्यर्थियों के प्रशिक्षण की लागत भी वहन करता है। 18-50 वर्ष की आयु समूह का कोई भी बेरोज़गार युवा जिसमें स्वरोजगार या वेतन रोज़गार अपनाने की रुचि हो, आरएसईटीआई में प्रशिक्षण प्राप्त कर सकता है। प्रशिक्षित अभ्यर्थियों में से कुछ नियमित वेतन वाली नौकरियाँ/मजदूरी रोज़गार भी प्राप्त करते हैं।

(ख) जी हाँ। डीडीयू-जीकेवाई योजना निजी क्षेत्र के संस्थानों और गैर-सरकारी संगठनों के साथ साझेदारी में संचालित होती है। डीडीयू-जीकेवाई के तहत, परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा परियोजनाओं को परियोजना मोड में कार्यान्वित किया जाता है। ये परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियां निम्न में से कोई भी इकाई हो सकती हैं:

i) राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर एक सरकारी या अर्ध-सरकारी संगठन,

ii) नीति आयोग के तहत पंजीकृत एक गैर-सरकारी संगठन,

iii) भारतीय न्यास अधिनियम किसी राज्य सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम या किसी राज्य सहकारी समिति या बहु-राज्य सहकारी अधिनियम या कंपनी अधिनियम 2003 या सीमित देयता भागीदारी अधिनियम 2008 के तहत पंजीकृत हो, या स्वयं सहायता समूह और उनके क्लस्टर स्तर संघ/ब्लॉक स्तर संघ जैसे उनके संघ,

iv) स्टार्ट-अप के अतिरिक्त तीन वर्ष से अधिक पुरानी इकाई, आदि।

(ग) डीडीयू-जीकेवाई और आरएसईटीआई कार्यक्रमों के तहत प्रशिक्षित और नियोजित/स्वरोजगार प्राप्त करने वाले युवाओं का ब्यौरा क्रमशः **अनुबंध-I** और **अनुबंध-II** में दिया गया है।

अनुबंध-I

लोकसभा में दिनांक 02.12.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 384 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

डीडीयू-जीकेवाई के तहत पश्चिम बंगाल राज्य में योजना की शुरुआत से लेकर दिनांक 12.11.2025 तक प्रशिक्षित और नियोजित अभ्यर्थियों का ज़िला-वार ब्यौरा:

क्र. सं.	जिला	प्रशिक्षित	नियोजित
1	24 परगना उत्तर	5280	1986
2	24 परगना दक्षिण	5630	2399
3	अलीपुरद्वार	1031	625
4	बांकुडा	2593	1737
5	बीरभूम	2880	1855
6	कूच बिहार	1471	941
7	दक्षिण दिनाजपुर	707	403
8	दार्जिलिंग	616	484
9	हुगली	3805	1431
10	हावड़ा	1288	439
11	जलपाईगुड़ी	3182	2156
12	झारग्राम	1877	971
13	कलिम्पोंग	128	73
14	मालदा	916	587
15	मेदिनीपुर पूर्व	1949	1133
16	मेदिनीपुर पश्चिम	1499	886
17	मुर्शिदाबाद	2293	1411
18	नदिया	3054	1359
19	पश्चिम बर्धमान	1367	835
20	पूर्वी बर्धमान	4507	1859
21	पुरुलिया	1670	1065
22	उत्तरी दिनाजपुर	1438	816

*** ये आँकड़ें कौशल भारत पोर्टल से दिनांक 12-11-2025 को डाउनलोड किए गए है। प्रशिक्षण और नियोजन निरंतर चलने वाली प्रक्रियाएँ हैं , और ये आँकड़े समय के साथ बढ़ते रहेंगे।*

अनुबंध-II

लोकसभा में दिनांक 02.12.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 384 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

आरएसईटीआई के तहत पश्चिम बंगाल राज्य में योजना की शुरुआत से लेकर अक्टूबर 2025 तक प्रशिक्षित और स्वरोजगार प्राप्त अभ्यर्थियों का ज़िला-वार ब्यौरा:

क्र. सं.	जिला	प्रशिक्षित	नियोजित
1	बांकुडा	11136	7264
2	बीरभूम	10144	7116
3	बर्दवान	10419	7124
4	कूच बिहार	6213	4600
5	दार्जिलिंग	5708	4299
6	हुगली	10569	7523
7	हावड़ा	10044	6794
8	हावड़ा	20074	15986
9	जलपाईगुडी	8452	6463
10	मालदा	10071	7106
11	मिदनापुर (पश्चिम)	9594	7287
12	मिदनापुर (पूर्व)	10406	7895
13	मुर्शिदाबाद	12929	9062
14	नदिया	8649	6299
15	उत्तर दिनाजपुर	8588	6219
16	उत्तर 24 परगना	10639	8786
17	दक्षिण 24 परगना	11824	8205
18	पुरुलिया	8031	4540
19	दक्षिणी दिनाजपुर	9200	6598

स्रोत: एनएसीईआर